FAQ

प्रश्न 1– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत आवेदन की पात्रता क्या है?

उत्तर 1– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत प्रस्तावों की पात्रता निम्नवत् है :–

(प) नवीन नीति के प्रभावी होने की तिथि के उपरान्त स्थापित होने वाली इकाईयाँ जिन्हें बैंक/वित्तीय संस्थानों से ऋण की स्वीकृत व वितरण प्राप्त हो चुका हो, इस नीति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगी। ब्याज उपादन के लिए पॉच वर्षों की समयावधि की गणना सावधि ऋण (टर्म लोन) वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

(पप) ऐसी इकाईयां जो निवेशक के द्वारा नवीन नीति के प्रभावी होने के उपरान्त अपने स्वयं के ज्ञात स्रोतों से स्थापित की गयी हैं, वे इकाईयाँ भी नवीन नीति के अन्तर्गत पूॅजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, परन्तु ऐसी इकाईयों को ज्ञात स्रोत से इकाई स्थापित करने सम्बन्धी अप्रेजल रिपोर्ट किसी बैंक अथवा विशेषज्ञ वित्तीय संस्थान से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 2– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 में किन–किन मदों में अनुदान का प्राविधान है?

उत्तर 2– 1 पूंजीगत निवेश अनुदान

2– ब्याज उपादान

(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना

(ख) नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की स्थापना

(ग) दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन

(घ) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी

(ड.) कोल्ड चेन की स्थापना

(च) दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

(छ) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण पर ब्याज उपादान

(ज) मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को ब्याज उपादान

3– बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान

4–मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान

5–पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान

6–विद्युत शुल्क

7–स्टाम्प शुल्क

प्रश्न 3– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित उद्योग के लिए अनुदान का क्या प्रावधान है?

उत्तर 3– मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय हेतु अनुदान का प्रावधान है।

प्रश्न 4— उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 में अनुदान कब अवमुक्त होगी?

उत्तर 4— प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान इकाई के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद किया जाएगा।

प्रश्न 5— उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 के लिए आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर 5— नीति के अन्तर्गत समस्त आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में किये जायेगें।

प्रश्न 6— क्या इसके लिए ऑफलाईन आवेदन किए जा सकते हैं?

उत्तर 6— नहीं।

प्रश्न 7— क्या प्रदेश में दुग्ध उद्योग स्थापित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकती है?

उत्तर 7 — उद्यमियों को आवश्यकतानुसार टेक्निकल सपोर्ट के लिए विषय विशेषज्ञ तथा डोमेन एक्सपर्ट की व्यवस्था तकनीकी मार्गदर्शन हेतु रहेगी।

प्रश्न 8— उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 में निर्यात प्रोत्साहन के सम्बन्ध में अनुदान की क्या व्यवस्था है?

उत्तर 8— हां।

प्रश्न 9— ऑनलाईन आवेदन करते समय यदि समस्या आती है तो क्या विभाग द्वारा सहायता प्राप्त हो सकती है?

उत्तर 9— हां।

प्रश्न 10— उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 में उद्योग स्थापित में स्टाम्प शुल्क के ऊपर अनुदान की क्या व्यवस्था है?

उत्तर 10— उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर भुगतान की गयी स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति स्टाम्प विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का आंकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त विभागीय बजट से की जायेगी।

प्रश्न 11— उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति—2022 में उद्योग स्थापित में विद्युत शुल्क के ऊपर अनुदान की क्या व्यवस्था है?

उत्तर 11 — नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि में भुगतान किये गये विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति विद्युत विभाग द्वारा अनुमन्य धनराशि का ऑकलन उपलब्ध कराने के उपरान्त

विभागीय बजट से की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति केवल राज्य के विद्युत वितरण कंपनियों या विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों से विद्युत खरीद पर ही की जायेगी।

प्रश्न 12– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत मूल्य संवर्द्धित उत्पाद आधारित दुग्ध उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान की क्या व्यवस्था है?

उत्तर 12 – सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली मूल्य संवर्द्धित दुग्ध उत्पाद जैसेः–चीज, आइसक्रीम आदि का विनिर्माण करने वाली इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

सूक्ष्य एवं लघु उद्यम क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार की जाएगी।

प्रश्न 13– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए किन–किन मदों में एक साथ अनुदान सहायता प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर 13– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक साथ निम्न मदों में अनुदान, रियायतें एवं सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

1 पूंजीगत निवेश अनुदान
2 ब्याज उपादान
(क) नवीन दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाई की स्थापना
(ख) दुग्धशाला के बाहर फील्ड में नवीन टेक्नोलॉजी
(ग) कोल्ड चेन की स्थापना
3– बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान
4–मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान
5–पेटेण्ट / डिजाइन पंजीकरण प्राविधान
6–विद्युत शुल्क
7–स्टाम्प शुल्क

प्रश्न 14– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत दुग्ध प्रसंस्करण इकाई एवं पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के विस्तारीकरण के लिए आवेदन कब किया जाएंगे?

उत्तर 14– दुग्ध प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माण दुग्धशाला इकाईयों के विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में), पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई की विस्तारीकरण (विद्यमान क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में) तथा दुग्धशाला के अन्दर तकनीकी उन्नयन से सम्बन्धित ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित इकाईयों द्वारा आवेदन विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने तथा टर्म लोन स्वीकृत होने के उपरान्त (विनिर्माण इकाई की पूर्वगामी / विद्यमान स्थिति में) पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 15– उ0प्र0 दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति–2022 के अन्तर्गत पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाईयों हेतु अनुदान की क्या व्यवस्था है?

उत्तर 15– (क)नवीन पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्लान्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्ट्स हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 7.50 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) पशु आहार एवं पशु पोषण उत्पाद निर्माणशाला इकाई के मौजूदा क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की दशा में प्लान्ट एवं मशीनरी पर लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर के 05 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक दर जो भी कम हो, 05 वर्षों हेतु अधिकतम रू0 2.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।